

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 11 / 2022 / 4518

दिनांक : 30/09/2023

संशोधित आदेश

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को पूर्व में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पदोन्नति/एसीपी के फलस्वरूप संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं एक अन्य आदेश क्रमांक प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसरण में कॉलम A में व F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसरण में कॉलम B में एतत् द्वारा उक्त वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/एसीपी अथवा पदोन्नति का विवरण		चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	A राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं प15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसार		B राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसार		लिपिक ग्रेड-II के पदोन्नत पद पर श्रेणी आयोग केतहत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करने पर मूल वेतन व पे-लेवल	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक को वेतनस्थिरीकरण पर मूलवेतन			देय एसीपी में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक व आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	उक्तानुसार संशोधित मूलवेतन की अन्तर राशि जो व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय है। (कॉलम सं0 4-7)	देय एसीपी/पदोन्नति में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक व आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1.	श्री कृष्ण पाल सिंह, लिपिक ग्रेड-II, विशिष्ट न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं0 01, जयपुर महानगर-II प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.05.2009 लिपिक ग्रेड-II	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर स्था/72/2017/9372 दि. 30.08.2018	08.05.2018 (09 वर्ष) 27200/- (L-06)	08.05.2018 (09 वर्ष) 26300/- (L-05)	27100/- (L-05)	08.05.2018(09 वर्ष) 27100/- (L-08)	100/-	08.05.2018 (09 वर्ष) 27900/- (L-08)	—	01.07.2018	
2.	श्री अभय कान्त शर्मा, लिपिक ग्रेड-II, विशिष्ट न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं0 01, जयपुर महानगर-II प्र. नियुक्ति दि. 15.05.2015 लिपिक ग्रेड-II	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II स्था/35/2021/4157 दि. 29.10.2021	15.05.2021 (09 वर्ष) 27200/- (L-06)	15.05.2021 (09 वर्ष) 26300/- (L-05)	27100/- (L-05)	15.05.2021(09वर्ष) 27100/- (L-08)	100/-	15.05.2021 (09 वर्ष) 27900/- (L-08)	—	01.07.2021	

3
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

3.	श्री लोकेश कुमार, लिपिक ग्रेड-II, विशिष्ट न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं0 01, जयपुर महानगर-II प्र. नियुक्ति दि. 17.08.2009 लिपिक ग्रेड-II	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर स्था/72/2017/10646 दि. 08.10.2018	17.08.2018 (09 वर्ष) 28000/- (L-06)	17.08.2018 (09 वर्ष) 27100/- (L-05)	27900/- (L-05)	17.08.2018(09वर्ष) 27900/- (L-08)	100/-	17.08.2018 (09 वर्ष) 28700/- (L-08)	—	01.07.2019
----	--	---	--	--	-------------------	---	-------	---	---	------------

नोट:-

उपरोक्त तालिका में कॉलम A के अनुसार संबंधित कर्मचारीगण के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना की जावे:-

- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30.05.2022 के अनुसार संशोधित वेतनस्थिरीकरण पर मूल वेतन की अन्तर राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में कॉलम सं0 08 के अनुसार देय होगी तथा यह व्यक्तिगत वेतन उक्त कर्मचारीगण को दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि से समायोजित किया जावेगी।
- उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30 मई 2022 के अनुसार व्यक्तिगत वेतन पर मंहगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होने के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2022 के मध्य पूर्व में स्वीकृत की गई एसीपी की तिथि से दिनांक 27.02.2022 तक भुगतान किये जा चुके मंहगाई भत्ते व मकान किराये भत्ते की राशि वसूलनीय नहीं होगी तथा दिनांक 28.02.2022 से अधिक आहरित किये गये मंहगाई भत्ते तथा मकान किराये भत्ते की एवं आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2022 व 01.07.2023 को स्वीकृत वेतनवृद्धि के कारण अधिक भुगतान की राशि नियमानुसार वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवायी जावेगी एवं उक्त वसूली का कर्मचारी के सेवा अभिलेख में नियमानुसार इन्द्राज भी किया जावेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावेगी।

उपरोक्त तालिका में कॉलम B के अनुसार संबंधित कर्मचारीगण के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना की जावे:-

- प्रथमतः कॉलम A की पूर्ति की जावेगी।
- तत्पश्चात् उपरोक्त तालिका में उल्लेखित संबंधित कर्मचारीगण को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांकित 26.07.2023 व 01.08.2023 के अनुसार एसीपी/पदोन्नति की दिनांक को उनके नाम के सम्मुख उक्त अधिसूचना के अनुसार कॉलम B में वेतनस्थिरीकरण नियमानुसार देय तिथि को संशोधित किया जाता है, उक्त अधिसूचना अनुसार कॉलम B में संशोधित वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर देय दिनांक से आगामी वेतनवृद्धियों को संशोधित/स्वीकृत करते हुए दिनांक 31.03.2023 तक का कोई एरियर कर्मचारी को देय नहीं होगा।
- उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे।

sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : 30/09/2023

क्रमांक : स्था0/11/2022/4519

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
- संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
- संबंधित कर्मचारी।
- सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

3
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय
21